

**भारतीय रिज़र्व बैंक**  
**RESERVE BANK OF INDIA**वेबसाइट : [www.rbi.org.in/hindi](http://www.rbi.org.in/hindi)Website : [www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in)ई-मेल/email : [helpdoc@rbi.org.in](mailto:helpdoc@rbi.org.in)

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई-400001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai-400001 फोन/Phone: 022- 22660502

1 दिसंबर 2023

**भारतीय रिज़र्व बैंक और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड के संबंध में सहयोग और सूचना के आदान-प्रदान संबंधी एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए**

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) और बैंक ऑफ इंग्लैंड (बीओई) ने आज भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) के संबंध में सहयोग और सूचना के आदान-प्रदान से संबंधित एक [सहमति ज्ञापन \(एमओयू\)](#) पर हस्ताक्षर किए। यह एमओयू, यूके की वित्तीय स्थिरता की सुरक्षा करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक की विनियामक और पर्यवेक्षी गतिविधियों पर भरोसा रखने हेतु बीओई के लिए एक ढांचा स्थापित करता है। यह एमओयू अंतरराष्ट्रीय समाशोधन गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए सीमापारीय सहयोग के महत्व और अन्य विनियामकों की व्यवस्थाओं को आदरभाव के प्रति बीओई की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।

यह एमओयू अपने संबंधित कानूनों और विनियमों के अनुरूप सहयोग बढ़ाने में दोनों प्राधिकरणों के हितों की पुष्टि करता है। यह बीओई को तृतीय देश केंद्रीय प्रतिपक्षकार (सीसीपी) के रूप में मान्यता हेतु सीसीआईएल के एप्लीकेशन का मूल्यांकन करने में भी सक्षम करेगा, जो सीसीआईएल के माध्यम से लेनदेन के समाशोधन हेतु यूके स्थित बैंकों के लिए एक पूर्व-आवश्यकता है।

इस एमओयू पर आज (1 दिसंबर 2023) लंदन में श्री टी रबी शंकर, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक तथा सारा ब्रीडेन, उप गवर्नर, वित्तीय स्थिरता, बीओई द्वारा हस्ताक्षर किए गए।

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1393

(योगेश दयाल)

मुख्य महाप्रबंधक